न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 13/2022
GCMS NO. : 2022/28

–:: वादी :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. रामेश्वरलाल पुत्र ढगलाराम जी, जाति– कुम्हार,(प्रजापत) निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण(पाली)		1. डूंगाराम पुत्र ढगलाराम 2. श्यामलाल पुत्र ढगलाराम जातियान– कुम्हार,(प्रजापत) निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण(पाली) 3. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.04.02.2022

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/04/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 488/1006 रकबा 0.8094 हैक्टर (5 बीघा) किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। माफिक हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर रामेश्वर लालकब्जाकाश्त है। नकल जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 व ट्रेस नक्शा पेश है। वादपत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कृषि भूमि खातेदारान की शामलाती खातेदारी एव कब्जेकाश्त की जिसका कानूनन बाई मिटस एण्ड बाई बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि वादी एव प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि को काबिल काश्त हेतु खाद बीज के लिये बैंक से ऋण में व किसान कार्ड बनवाने में भी परेशानी होती है इसके अतिरिक्त भी वादी अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि को अकृषि कार्य हेतु व लघु गृह उद्योग (कजावा) परिवर्तन करवाने हेतु भी परेशानी होती है, इसलिये वादी ने दिनांक 15.01.2022 को कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स के बटवाड़ा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हुए व शामलाती हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण ने वैचान हस्तान्तरण करने तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर वादी ने यह बाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है । 3 यह है कि वादपत्र के पद संख्या 1 में [illegible] भूमि का माफिक हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ने आज से [illegible] वर्ष [illegible] पर बटवाड़ा भी कर दिया तथा खेतों के बीच ईटो की कच्ची दीवार है। खसरा नम्बर 488/[illegible] रकबा 0.8094 हैक्टर अर्थात 05 बीघा भूमि वादी द्वारा बतायें नजरी नक्शेनुसार पूर्वी दिशा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हरे रंग की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की व उसके पास लाल रंग की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 श्यामलाल की, तथा पश्चिम दिशा की भूमि पीले रंग से यादी रामेश्वरलाल की है। इसी नजरी नक्शेनुसार यादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते हैं तथा अपनी भूमि का उपयोग-उपभोग करते हैं। वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार बंटवाड़ा हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो इन्कार होने पर वादी द्वारा यह वाद बंटवाड़ा च स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादी ने उक्त वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के बटवाड़े का प्रस्तुत किया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार, भूमिधारी राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। बिनाय वाद दिनांक 15.01.2022 को वादी ने प्रतिवादीगण को बटवाडा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हुए व शामलाती खातेदारी की भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने व वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 की ओर वकालतनामा व राजीनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है। वादी एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण ने राजीनामा पेश कर माफिक राजस्व रेकर्ड एवं नजरीनक्शा के वाद डिक्री किये जानें की इस्तदुआ की, बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, राजीनामा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली की सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा संख्या 488/1006 रकबा 0.8094 हैक्टर (5 बीघा) किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे ासरा संख्या 488/1006 रकबा 0. 8094 हैक्टर (5 बीघा) किस्म बारानी दोयम की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तह[illegible] को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/188 दिनांक 23/[illegible]/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक [illegible]/22/1773 दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बं[illegible]ड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नवशा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

—:: आदेश ::—

अतः माफिक राजीनामा मय नजरीनक्शा व राजस्व रेकर्ड अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद सरहद मौजा जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 488/1006 रकबा 0.8094 हैक्टर (5 बीघा) किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं:—

क्र. सं.	नाम खातेदारान **मय** वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	रामेश्वरलाल पुत्र ढगलाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	488/1006	0.2698	बा.दो.	0.52
2.	डंगूराम पुत्र ढगलाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	488/6	0.2698	बा.दो.	0.52
3.	श्यामलाल पुत्र ढगलाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	488/5	0.2698	बा.दो.	0.52

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला पाली

निर्णय आज दिनॉक 26/04/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वांदी :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

1. रामेश्वरलाल पुत्र ढगलाराम जी, जाति- कुम्हार,(प्रजापत) निवासी- जैतारण, तहसील- जैतारण(पाली)

बनाम

1. डूंगाराम पुत्र ढगलाराम
2. श्यामलाल पुत्र ढगलाराम जातियान- कुम्हार,(प्रजापत) निवासी- जैतारण, तहसील- जैतारण(पाली)
3. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 13/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद सरहद मौजा जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 488/1006 रकबा 0.8094 हैक्टर (5 बीघा) किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	रामेश्वरलाल पुत्र ढगलाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	488/1006	0.2698	बा.दो.	0.52
2.	डंगूाराम पुत्र ढगलाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	488/6	0.2698	बा.दो.	0.52
3.	श्यामलाल पुत्र ढगलाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	488/5	0.2698	बा.दो.	0.52

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/04/2022 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:30:13 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	06	00	मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested